कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 663 /11—सी—FP/UP/Road/34116/2018, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 27 ,2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग—2,
लखनऊ।

विषयः— जनपद—इलाहाबाद में एन0एच0—2 जी0टी0 रोड़ (बेगम बाजार से चौफटका) किमी0 185.800 से किमी0 194.000 के मध्य कुम्भ मेला 2019 के अंतर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 6.418 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/70/2018/एफ0सी0/423, दिनांक 19.09.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक—1047/15—1, दिनांक 27.09.2018 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख की दो प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नकः—यथोक्त।</u>

भवदीय

27/9

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या— /11—सी—FP/UP/Road/34116/2018, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में संलग्न सहित।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, इलाहाबाद।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, इलाहाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—01, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2323

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पत्रांक 1047 /15–1 दिनांक, इलाहाबाद, सितम्बर, 27 ,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय :– जनपद इलाहाबाद में एन0एच0–2 जी0टी0 रोड (बेगम बाजार से चौफटका) किमी0 185.8000 से किमी0 194.000 के मध्य कुम्भ मेला–2019 के अन्तर्गत चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 6.418 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्ष / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8B/UP/06/70/2018/FC/423 दिनांक 19–09–2018 तथा आपका पत्रांक सं0–640 / 11–सी–एफ.पी. / यू.पी. / रोड / 34116 / 2018 दिनांक 20–09–2018

ASO
27
4
CCF/Nodal
1864
27-9-18

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्रांक 963 / 5–8 दिनांक 22–09–2018 द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19–09–2018 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26–09–2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

Condition NO	Condition	Status of compliance
1.	गूगल इमेज से यह प्रतीत होता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि बंजर एवं पथरीली स्थल पर प्रस्तावित की गयी है। अतः वृक्षारोपण की उपयुक्तता हेतु चयनित स्थल की सुपुष्टि वरीय पदाधिकारी से प्राप्त कर भेजी जाय अथवा अन्य रोपण स्थल पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव भेजा जाय।	विषयांकित प्रकरण में 6.418 हे0 भूमि के बदले 12.8360 हे0 भूमि इलाहाबाद वन प्रभाग के शंकरगढ़ रेंज के अन्तर्गत गोल्हैया वन ब्लाक स्थान पर प्रस्तावित की गयी है। दिनांक 26–09–2018 को इलाहाबाद वन प्रभाग के शंकरगढ़ रेंज के अन्तर्गत गोल्हैया वन ब्लाक का निरीक्षण किया गया। यद्यपि यह वन भूमि बंजर एवं पथरीले स्थान पर है, परन्तु अधिकांश भूमि में लगभग दो फिट के आस–पास मृदा है। इस वन ब्लाक में 12.8360 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। यह अवनत भूमि बीज बुआन पद्यति से वृक्षारोपण करने हेतु उपयुक्त है जिसमें गड्ढा खोद कर पौध रोपण भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र में असम्मुख बोना नालियॉ खोद कर बीज बुआन पद्यति से वृक्षारोपण का कार्य किया जा सकता है। यह भूमि समस्त प्रकार से अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है। अतः उक्त भूमि 12.8360 हे0 अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

संख्या /समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

डा0 राजीव मिश्रा, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की निरीक्षण टिप्पणी

1— निरीक्षण दिनांक : 26—09—2018
क्षेत्र का नाम : गोल्हैया वन ब्लाक
रेंज का नाम : शंकरगढ़
प्रभाग का नाम : सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद।

दिनांक 26—09—2018 को इलाहाबाद वन प्रभाग के शंकरगढ़ रेंज के अन्तर्गत गोल्हैया वन ब्लाक का निरीक्षण प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद, क्षेत्रीय वन अधिकारी, शंकरगढ की उपस्थिति में किया गया। इस अवनत भूमि में प्रभागीय निदेशक, इलाहाबाद द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तिावित किया गया है। यद्यपि यह वन भूमि बंजर एवं पथरीले स्थान पर है, परन्तु अधिकांश भूमि में लगभग दो फिट के आस—पास मृदा है। इस वन ब्लाक में 12.8360 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। यह अवनत भूमि बीज बुआन पद्यति से वृक्षारोपण करने हेतु उपयुक्त है, जिसमें गड्ढा खोद कर पौध रोपण भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र में असम्मुख बोना नालियाँ खोद कर बीज बुआन पद्यति से वृक्षारोपण का कार्य किया जा सकता है। यह भूमि समस्त प्रकार से अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है।

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
पत्रांक 1046 /17—4—1 दिनांक, इलाहाबाद, सितम्बर, 27 ,2018।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 राजीव मिश्रा)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, इलाहाबाद।